दूरभाष : 222911 कार्या.

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

पत्र क्रमांक 290 /भवन शिक्षा/न.पा.नि./2012 रायगढ़, दिनांक 17/09/012

भवन निर्माण अनुज्ञा

प्रति,

श्री ओम सृष्टि डेव्लपर्स
पार्ट० श्री सुभाष अग्रवाल, बेलादुला,
रायगढ़ (छ.ग.)

यह अनुमति छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार निम्न शर्तों के तहत प्रदाय किया जाता है -

1. निर्माण स्थल का पता - बेलादुला
2. निर्माण का प्रकार - निवासार्थ (आवासीय) भू-तल, प्रथम से पंचम तल
3. निर्माण भूमि का विवरण - शीट क्र.- 09 ~~प्लाट क्र.~~ खसरा नं. 10, 11/1(ख) रकबा : 3750 SQM

   ~~भू तल~~ : 911.20 SQM

   ग्राउण्ड फ्लोर : —

   प्रथम तल : 911.20 SQM

   द्वितीय तल : 911.20 SQM

   तृतीय तल 911.20 SQM

   चतुर्थ तल 911.20 SQM

   पंचम तल 911.20 SQM

   अन्य तल : —

4. (अ) यह भवन निर्माण अनुज्ञा दिनांक 17 माह 09 वर्ष 2013 तक प्रभावशाली रहेगी।

   (ब) यदि आवश्यकता हो तो उसे नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 17 माह 08 वर्ष 2013 तक में प्रस्तुत किया जावेगा ।

   (स) निर्धारित तिथि के पश्चात् आवेदन करने पर अनुज्ञा शुल्क की संपूर्ण राशि देय होगी ।

5. भू - खण्ड अविकसित क्षेत्र/अवैध कॉलोनी में होने से विकास शुल्क राशि रू. .... निर्धारित किया गया है । जिसे नगर पालिक निगम के खजाने में रसीद क्र. .... दिनांक .... द्वारा रूपये .... जमा कराया गया है ।
6. मलमा / मटेरियल शुल्क रू. .... रसीद क्र. .... दिनांक .... द्वारा वाटर हर्वेस्टिंग स्थापना एवं वृक्षारोपण हेतु .... रूपये ....

   योग राशि रूपये 7,51,429.00 रसीद क्र. 222/81 दिनांक 12/09/012
7. नगर तथा ग्राम निवेश के नियोजन सहमति पत्र क्र. 1171 दिनांक 11/09/012 की शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जावे ।
8. अनुमति प्रदान करने के दिनांक से एक वर्ष के पश्चात् यह अनुमति पत्र निरस्त समझा जावेगा ।

Scanned with CamScanner

9. नगर निगम से प्राप्त मुद्रांकित मानचित्र के अनुसार आपको निर्माण करना होगा ।
10. आपको नजूल भूमि पर किसी प्रकार की अन्याक्रांति न कर अपने निज की भूमि पर निर्माण करना होगा ।
11. आप नगर निगम के नाली के उपर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेंगे ।
12. आप अपने गृह का जल निस्तार अपने निज की भूमि में करेंगे । आवश्यकता होने पर स्वयं के व्यय से पक्की नाली निर्माण कराकर निकाय की नाली तक जोड़ेंगे । इस कार्य के दौरान पड़ोसी की भूमि में सहमति बगैर कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा ।
13. निर्माण कार्य के दौरान सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है । इसके लिए भूमि स्वामी के सहमति की आवश्यकता नहीं होगी ।
14. आप निर्माण के प्रत्येक दशा में जैसे नींव खुदाई प्रत्येक मंजिल तक ईंट की जुड़ाई तथा भवन के पूर्ण निर्मित होने की सूचना नगर निगम को देंगे। समयान्तर्गत उक्त निर्माण का सम्मोदन मिलने के उपरांत आगे कार्य करेंगे। छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 301 (4) के प्रावधान अनुसार स्वीकृति प्राप्त किये बिना भवन को प्रयोग में नहीं लाया जावेगा ।
15. सेप्टिक लेट्रिन का निर्माण किया जावे । कच्चा या खुले शौचालय का निर्माण पूर्णतः वर्जित है, ऐसे निर्माण कार्य करने पर अनुज्ञा स्वयं निरस्त मानी जावेगी तथा संपूर्ण निर्माण कार्य अवैध मानते हुए उसे हटाने की कार्यवाही की जावेगी ।
16. भूमि संबंधी विवाद होने की स्थिति में दी गई अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी । ऐसी स्थिति में नगर निगम की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।
17. आप संबंधित वास्तुविद से कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर समय - समय पर प्रस्तुत करेंगे ।
18. छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 के प्रावधान के अनुसार वाटर हार्वेस्टिंग हेतु कोलेशन पीट का निर्माण करना होगा ।
19. नियमानुसार फ्लाई एश से निर्मित ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण में करना आवश्यक होगा ।
20. छ.ग भूमि विकास नियम 64 के अनुसार प्रति 100 वर्गमीटर में एक वृक्ष के दर से वृक्षारोपण करना । लगाये गये वृक्षों को तीन वर्ष तक पोषित करने के पश्चात् ही जमा राशि देय होगी ।
21. लाल स्याही से संशोधन अनुसार निर्माण किया जावें ।
22. आवेदक / आवेदिका के मानचित्र में जिस ओर खुली भूमि छोड़ने का प्रावधान नहीं किया गया है उस तरफ कोई भी खिड़की दरवाजा, रोशनदान, बरसाती पानी निकासी हेतु पाईप लाईन आदि स्थापित / खुलने का प्रावधान नहीं किया जावेगा ।
23. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व नजूल विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य आवश्यक विभागों से अनुमति प्राप्त करना होगा तथा भूमि संबंधी सीमांकन भी संबंधित विभाग से कराने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे ।
24. नगर निगम द्वारा लागू करों का समय में भुगतान करने का दायित्व होगा ।
25. भवन निर्माण किसी भी स्थिति में पूर्व निर्मित पंक्ति के आगे नहीं किया जावेगा । पंक्ति के आगे किसी प्रकार का निर्माण अवैध निर्माण माना जावेगा ।
26. आप भवन निर्माण की उपविधियों तथ नियमों का पूर्णतः पालन करने को बाध्य रहेंगे ।
27. विधिवत स्वीकृति प्राप्त की है विद्युत कनेक्शन /आवासीय / व्यवसायिक विद्युत मण्डल द्वारा अपनी शर्तों पर दिये जाने में इस कार्यालय को आपत्ती नहीं होगी ।

यदि आप उपरोक्त शर्तों में किसी भी शर्त की अवहेलना करेंगे तो नगर निगम को आपका अनुमति पत्र विलोपित करने का पूरा अधिकार होगा तथा आप नगर निगम पर किसी प्रकार की नुकसानी का दावा नहीं कर सकेंगे ।

उपरोक्त शर्तों के तहत भवन निर्माण किये जाने की अनुज्ञा प्रदाय किया जाता है ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
सारंगढ़ (छ. ग.)

Scanned with CamScanner